तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता अहकाम जो हुक्म की ताम मीसे हु

गुलाम मोहम्मद बनाम सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जयपुर

4/18 (जीसीएमएस नम्बर 2018/00005)

04.08.21

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट उपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही है। प्रकरण में रूक–रूककर फिर से कई बार आवाज दिलवाई गई किन्तु अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही आये है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि प्रकरण राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रकरण वर्ष 2018 से विचाराधीन चल रहा है तथा अपीलाधीन आदेश आदेश दिनांक 20.12.2017 द्वारा अपीलान्ट को एक माह के लिये जयपुर जिले की सीमाओं से निष्कासित किया गया है एवं उक्त अपीलाधीन निर्णय पर न्यायालय हाजा के स्तर पर किसी प्रकार का कोई स्थगन आदि नही दिया गया है, ऐसी स्थिति में अब हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अदम–हाजरी, अदम–पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें तथा पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।